अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2001

का. आ. 539(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 2 फरवरी, 1996 की अधिसूचना सं0सां0 आ0 92 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने करूणा ट्रस्ट , 22, गौतम नगर, निकट नारायपुरा रेलवे कासिंग , अहमदाबाद द्वारा पूरे गुजरात में आँखों के ऑपरेशन, पोलियो ऑपरेशन कैंपों , आक्सीजन सिलैंडर सेवा तथा एम्बुलैंस सर्विस को चलाने के लिए निर्धारण वर्ष 1996-1997 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट किया था जिसे निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं0सां0 आ0 57(अ0) द्वारा आगे बढ़ाया गया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है :

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने तथा 94.00 लाख रूपये की अनुमानित लागत को संशोधित कर 128.00 लाख रूपए करने की सिफारिश की है,

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए :-

(क). करूणा ट्रस्ट , 22, गौतम नगर, निकट नारायपुरा रेलवे कासिंग , अहमदाबाद द्वारा चलाई जा रही पूरे गुजरात में आँखों के ऑपरेशन, पोलियो ऑपरेशन कैंपों , आक्सीजन सिलैंडर सेवा तथा एम्बुलैंस सर्विस को चलाने की स्कीम अथवा परियोजना को निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, तथा

(ख). दिनांक 2 फरवरी, 1996 की उक्त अधिसूचना सं0सां0 आ0 92(अ0) में निम्नलिखित प्रभाव से पुनः संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना में सारणी में कालम 4 में कम संख्या 5 के सम्मुख अधिकतम लागत जिसे अनुज्ञात किया गया था से संबंधित अक्षर, अंक तथा शब्द ' 94.00 लाख रूपये' के स्थान पर अक्षर अंक तथा शब्द '128.00 लाख रूपये' प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 153/2001/फा. सं. एन. सी.-61/2001]

पोमिला बी. प्रसाद, निदेशक (रा. स.)